पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पलामू झारखण्ड
अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–05/2019–20

1.	विज्ञापन दाता का नाम	**पुलिस अधीक्षक, पलामू।**
2.	निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि	16.07.2019
3.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	17.07.2019
4.	निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान	पुलिस केन्द्र पलामू।
5.	निविदा का मूल्य	3500000 (पैंतीस लाख) रूपये।

निविदा सूचना

पलामू जिला में उग्रवाद उन्मूलन अभियान कार्य हेतु भाड़ा भुगतान के आधार पर निजी मोटरसाईकिल की आवश्यकता है। वितीय वर्ष 2019–20 हेतु मोटरसाईकिलों का भाड़ा भुगतान के आधार पर 58 वाहनों की आवश्यकता होगी। इच्छुक व्यक्ति यदि भाड़ा भुगतान के आधार पर मोटरसाईकिल उपलब्ध कराना चाहते हैं तो सादर निविदा आमंत्रित है। झारखण्ड सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था को वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। निविदा की शर्त www.palamu.nic.in पलामू के वेबसाईट एवं पुलिस केन्द्र, पलामू के कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

क्रमांक	वाहनों का प्रकार
01.	मोटरसाईकिल (प्रतिदिन भाड़े पर)–58 मोटरसाईकिल

ह०/- 7/7/19
पुलिस अधीक्षक,
पलामू।

ज्ञापांक 3090/र०का०

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पलामू।
दिनांक 07/07/19

निविदा की शर्तें :–

1. निबंधित संस्था से अथवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ली गई व्यवसायिक रुप से निबंधित वाहनों को किराया पर ली जाएगी।
2. वाहन में खराबी/व्यवधान होने के स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता को अविलम्ब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक की अवधि में प्रति दो घंटा 10/– रुपया मात्र की दर से भुगतान में कटौती की जाएगी।
3. सरकारी कार्य में उपयोग हेतु किराये पर लिये गये वाहनों को संबंधित सभी प्रकार के टैक्स तथा इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ही देय होगा।
4. सरकारी कार्य में उपयोग के दौरान वाहन किसी दुर्घटना से होने वाली क्षति का दायित्व कार्यालय प्रधान की नही होगी।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता को एक अण्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि अन्य सेवा शर्त में राज्य में लागू श्रम कानूनों का अनुपालन किया जा रहा है।
6. किराया पर ली गई वाहनों की संविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रधान को होगा।
7. पॉच वर्ष या उससे ज्यादा पुराने वाहनों की सेवा नही ली जाएगी। यदि विशेष परिस्थिति में पॉच से दस वर्ष पुराने वाहनों की सेवा ली जाती है तो उन वाहनों का उपर्युक्त दर से 10 प्रतिशत कम दर अनुमान होगा।
8. यह अनुबंध माह जुलाई–2019 से जून–2020 तक प्रभावी होगा।
9. निविदा के साथ वाहन मालिक का पैन कार्ड, वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस एवं अद्यतन रोड टैक्स जमा करने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. उपरोक्त शर्तो का पालन प्रत्येक निविदाकर्ता को करना अनिवार्य होगा तथा यदि उक्त शर्तो के अनुरुप निविदा प्राप्त नही होता है तो उनका निविदा अयोग्य माना जायेगा।
11. निविदा खोलने की तिथि को निविदा दाता या उनका प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।

ह०/- 7/7/19
पुलिस अधीक्षक,
पलामू।